अपील संख्या 153/2016 (2016/00153) बउनवानी भंवर सिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह, आदेश दिनांक 15.11.2018

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित । अभिभाषक अपीलांट की अपील में बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 19.08.2015 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करके आगामी पेशी दिनांक 11.09.2015 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 19.08.2015 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो वर्तमान में तलबी नोटिस अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नियत हैं। अपील में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी में समय व्यय होगा एवं अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं हैं। पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**